C.E. (Procurement)
M.P.P.T.C.L., Jabalpur
R. No. ....2739....
Date 26 FEB 2013

म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

रजिस्टर्ड ऑफिसःब्लाक नं. 2, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर–482008

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/537 दिनांक 23.02.2013

परिपत्र

म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड से संबंधित गैर राज्य स्तरीय संवर्ग के कर्मचारियों के छत्तीसगढ़ स्थानांतरण हेतु निम्नानुसार प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जाना है:–

1. गैर राज्य स्तरीय संवर्ग के कर्मचारियों जिनकी नियुक्ति क्षेत्रीय आधार पर हुई है एवं 01.11.2000 के पूर्व जिनका स्थानांतरण प्रशासनिक दृष्टि या अन्य कारणों से दूसरे क्षेत्रीय कार्यालय में कर दिया गया था एवं यह क्षेत्र वर्तमान में उनका गृह प्रदेश न होकर दूसरे राज्य में है तथा जिन्हें समिति द्वारा आवेदन की प्रक्रिया में कोई प्रावधान नहीं होने के कारण अपने मूल प्रदेश अथवा वह क्षेत्र जहाँ उनकी नियुक्ति हुई थी अथवा गृह प्रदेश छत्तीसगढ़ में वापिस आने से वंचित होना पड़ा है ।

2. दिनांक 01.11.2000 की स्थिति में आवेदक के मूल निवास का निर्धारण उनके मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं उसमें दर्ज तहसील/जिला जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हों, के आधार पर विचार किया जावेगा ।

3. कर्मचारी द्वारा राज्य प्राथमिकता हेतु निर्धारित तिथि 30.04.2001 तक लिये गये विकल्प पर ही विचार किया जावेगा ।

4. स्थानांतरण के परिणामस्वरूप संविलयन के पश्चात् गैर राज्य स्तरीय संवर्ग के कर्मचारी की उत्तरवर्ती राज्य में सापेक्षिक ज्येष्ठता (रिलेटिव सीनियारिटी) मूल संवर्ग में उसकी नियुक्ति/पदोन्नति की तारीख के अनुसार अंत में नियत की जावेगी ।

5. वेतन एवं अन्य सेवा संबंधी लाभ स्थानांतरण के पश्चात् उस उत्तरवर्ती राज्य विद्युत मंडल/कंपनी में लागू प्रावधान के अनुसार नियत की जावेगी ।

अतः ऐसे सभी कर्मचारी जो कि उपरोक्तानुसार अर्हताएं पूर्ण करते हैं इस परिपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में चाही गई जानकारी भरकर उचित माध्यम द्वारा 30.04.2001 से पूर्व उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प, मूल निवासी एवं अन्य प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियों सहित इस कार्यालय को दिनांक 31.03.2013 तक प्रेषित करें । निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

संलग्नः–प्रपत्र ।

मुख्य अभियंता(कार्पोरेट अफेयर्स)
म.प्र.पावर ट्रांस.क.लि., जबलपुर

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/538 दिनांक 23.02.2013

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य अभियंता(टी.एंड सी.)/(मा.स.वि.)/(प्रोक्योरमेंट)/(योजना एवं रूपांकन)/(अति उच्चदाब–निर्माण)/ (अति उच्चदाब–संधारण एवं निरीक्षण)/(सीआरए–आईटी एंड सीएम)/(राज्य भार प्रेषण केन्द्र), म.प्र.पावर ट्रांस.क.लि., जबलपुर ।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ट्रांसमिशन–स्टोर), म.प्र.पावर ट्रांस.क.लि., जबलपुर ।
3. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पावर ट्रांस.क.लि., जबलपुर ।
4. अधीक्षण अभियंता (टी.एंड सी.)/(अति उच्चदाब–निर्माण)/ (अति उच्चदाब–संधारण एवं निरीक्षण), म.प्र.पावर ट्रांस.क.लि., ——————————————।
5. कार्यपालन अभियंता (परीक्षण) /(संचार) / (अति उच्च दाब–निर्माण) / (अति उच्चदाब–संधारण)/(उपकेंद्र)/(कर्मशाला)/(ट्रांस.–स्टोर),म.प्र.पावर ट्रांस.क.लि., ——————————————।
6. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक(वित्त)/(पेंशन एवं भविष्य निधि), म.प्र.पावर ट्रांस.क.लि. जबलपुर ।
7. कल्याण अधिकारी/सहायक सांख्यिकी अधिकारी/कंपनी सचिव, म.प्र.पावर ट्रांस. क.लि., जबलपुर ।
8. स्टाफ आफीसर संबद्ध प्रबंध निदेशक, म.प्र.पावर ट्रांस.क.लि., जबलपुर ।
9. निज सचिव संबद्ध निदेशक, (तकनीकी), म.प्र.पावर ट्रांस.क.लि., जबलपुर ।
10. क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.पावर ट्रांस.क.लि., जबलपुर/भोपाल/इंदौर ।
11. वेब मास्टर, म.प्र.पावर ट्रांस.क.लि., जबलपुर ।

कार्यपालन अभियंता
म.प्र.पावर ट्रांस.क.लि.,जबलपुर

प्रपत्र

छत्तीसगढ़ राज्य स्थानांतरण हेतु आवेदन

1. कार्मिक का नाम ____________________
2. एम्प्लाई नंबर/जी.पी.एफ. नंबर ____________________
3. पदनाम (01.11.2000 की स्थिति में ____________________
4. वर्तमान पदनाम ____________________
5. वर्ग –अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य वर्ग (गृह राज्य/मूल निवासी क्षेत्र के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अजा/अजजा जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें) ____________________
6. गृह राज्य (मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करें) ____________________
7. वेतनमान (01.11.2000 की स्थिति में) ____________________
8. वर्तमान वेतनमान(दिनांक 31.03.2013 की स्थिति में) ____________________
9. प्रशासकीय विभाग/संकाय ____________________
10. वर्तमान पदस्थापना (कार्यालय) ____________________
11. क्या पूर्व में दिनांक 30.04.2001 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य हेतु विकल्प प्रस्तुत किये गये| विकल्प की छाया प्रति संलग्न करें ।(राज्य प्राथमिकता हेतु निर्धारित तिथि 30.04.2001 तक दिये गये विकल्प पर ही विचार किया जायेगा) ____________________
12. किन कारणों से छत्तीसगढ़ राज्य स्थानांतरण चाहते है :–
    1. ____________________
    2. ____________________
    3. ____________________
13. पति अथवा पत्नी का नाम; पदनाम ____________________
    तथा विभाग की जानकारी(पति अथवा पत्नी को पृथक से आवेदन प्रस्तुत करना होगा)
14. नियंत्रण अधिकारी/विभागाध्यक्ष की अनुशंसा ____________________
    ____

मैं____________________यह मानता हूँ/मानती हूँ कि उपरोक्तानुसार आवेदन प्रस्तुत करने मात्र से राज्य स्थानांतरण का मेरा कोई आधार निर्मित नहीं होता । दोनों राज्य विद्युत मंडलों/कंपनियों के मध्य प्रशासकीय सहमति के आधार पर लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा ।

आवेदक के हस्ताक्षर
पदनाम एवं कार्यालय